भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1251
(जिसका उत्तर सोमवार, 25 जुलाई, 2021/03 श्रावण, 1944 (शक) को दिया जाना है)

उत्पादन शुल्क का संग्रहण

†1251. श्री दीपक अधिकारी (देव):

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पांच वर्षों के दौरान तेल कंपनियों से उत्पाद शुल्क के माध्यम से संग्रहीत की गई कुल राशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उत्पाद शुल्क के हिस्से का कितना प्रतिशत राज्यों को दिया गया है और उक्त धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): पिछले पांच वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों पर संग्रहीत कुल उत्पाद शुल्क का ब्यौरा:

(करोड़ रु. में)

वर्ष	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
संग्रहीत कुल उत्पाद शुल्क	2,29,716	2,14,369	2,23,057	3,72,970	3,63,305

(ख): वर्ष 2021-22 के दौरान, 15वें वित्त आयोग की स्वीकृत की गयी सिफारिशों के अनुसार, बांटे जाने वाले केन्द्रीय कर/दर के निवल परिलाभ का 41% राज्यों के लिए निर्धारित किया गया था। वर्ष 2021-22 में राज्यों के साथ बांटे जाने वाले निवल उत्पाद शुल्क का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

राज्य	**जारी किए गए उत्पाद शुल्क का हिस्सा**	**राज्य**	**जारी किए गए उत्पाद शुल्क का हिस्सा**
आंध्र प्रदेश	1610.24	मणिपुर	192.20
अरुणाचल प्रदेश	350.06	मेघालय	198.34
असम	1156.10	मिजोरम	127.21
बिहार	3868.86	नागालैंड	144.33
छत्तीसगढ	1009.06	उड़ीसा	1718.85
गोवा	110.27	पंजाब	557.39
गुजरात	1229.22	राजस्थान	2097.63
हरयाणा	390.43	सिक्किम	104.33
हिमाचल प्रदेश	265.82	तमिलनाडु	1753.77
झारखंड	1088.91	तेलंगाना	898.91
कर्नाटक	1539.33	त्रिपुरा	207.40
केरल	898.09	उत्तर प्रदेश	6692.67
मध्य प्रदेश	2647.08	उत्तराखंड	337.81
महाराष्ट्र	2057.21	पश्चिम बंगाल	2715.42

*****